106

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/4255 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.07.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 158/2016-17/अपील.

केदारसिंह पुत्र श्री प्रहलादसिंह
निवासी ग्राम बहांगीखुर्द तहसील व
जिला ग्वालियर, म.प्र.

.................आवेदक

विरूद्ध

श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा
निवासी बहांगीखुर्द तहसील व
जिला ग्वालियर, म.प्र.

..................अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 130 के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बहांगीखुर्द में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 378 रकबा 05 विस्वा जिसका सीमांकन प्र.क्र. 53/2005-06/अ-12 आदेश दिनांक 08.08.2006 से हो चुका था तथा मौके पर सीमा चिन्ह भी निर्मित किये जा चुके थे। आवेदक द्वारा दिनांक 26.02.2010 को सीमा चिन्हों को उखाड़कर प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया, आवेदक से प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जा वापस दिलवाया जाये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 2/2011-12/अ-13 दर्ज कर दिनांक 12.08.2015 को प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने से उक्त अवैध कब्जे को हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12.07.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो के आधार पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के पश्चात् पदस्थ पीठासीन अधिकारी को आवेदक को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु पदस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा जो आदेश पत्रिका पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2015 को लिखी गई थी, उसी आदेश पत्रिका के आधार पर दिनांक 28.07.2015 को प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ नियत करते हुए प्रकरण में दिनांक 12.08.2015 नियत की थी, परन्तु जो आदेश पारित किया गया, उसमें कोई आदेश दिनांक अंकित न करते हुए आदेश पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह दिनांक 12.08.2015 को ही पारित किया गया है, परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह मानकर कि दिनांक 12.08.2015 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, मानकर जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार जब किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है, तब पदस्थ पीठासीन अधिकारी

को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही प्रकरण में आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा आवेदक को समक्ष में सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश विधि विपरीत होते हुए भी दोनों अधीनस्थ न्यायलायों द्वारा इस बिंदु पर विचार किये बगैर जो आदेश पारित किया है, वह अवैध एवं शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारणीय न्यायालय एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये थे, उन दस्तावेजों पर विचार किये बगैर प्रस्तुत रिकॉर्ड व तर्क के विपरीत जो आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय एवं दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अनियमित कार्यवाही की गई है। बिना दिनांक का आदेश पारित किया गया है, जिसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि 10 मुड़डियां उखाड़ने की संख्या का आधार क्या है, फिर बिना दिनांक के आदेश को यथावत् रखने में अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने मात्र यह कहकर कि बिना दिनांक के आदेश की अपील स्वीकार योग्य नहीं है, अपने कर्तव्यों की इतिश्री की है, जबकि वरिष्ठ राजस्व अधिकारी होने के नाते उन्हें तहसीलदार की अनियमित कार्यवाही पर कार्यवाही करनी थी। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19.12.2016 एवं अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.08.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण

अपर तहसीलदार, वृत्त सिरसौद को पुनः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वैधानिक प्रक्रिया का पालन कर पुनः आदेश पारित करे।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर